क्रमांक **राजस्थान सरकार**

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर
(Ph:0141-2222249-67 Email ID :-store.dsap@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.-14/(16)/योजना/नि.वि.यो./00592/2023/ 1366 दिनांक 25/4/2023

विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार हेतु गतिशीलता वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी (Scooty) योजना 2023

(1) प्रस्तावना :- राजस्थान सरकार बजट 2022-23 की घोषणा सं. 57 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिये दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2 हजार स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अन्तर्गत 5 हजार किये जाने की घोषणा करता हूँ।" की गई थी। राजस्थान सरकार बजट 2023-24 की घोषणा सं. 73 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा **"आगामी वर्ष भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजार स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित"** की घोषणा की गई है।

उक्त बजट घोषणा वर्ष 2023-24 हेतु चलने-फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क Scooty with Retrofitment आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने हेतु योजना।

(2) पात्रता एवं शर्तें एवं वांछित दस्तावेज :-

i. आय प्रमाण-पत्र :-

(अ) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे है, को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नही होगी ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(ब) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नही कर रहे है, उनकी माता-पिता/अभिभावकों/स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। इस हेतु प्रार्थी को स्व प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो।

ii. निःशक्तता प्रमाण पत्र :- चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन का चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी।

iii. मूल निवास प्रमाण पत्र :- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी) अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास को दर्शाता हो।

iv. आधार कार्ड :- आवेदक को आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

v जन आधार कार्डः– आवेदक को जन आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

vi. आयु प्रमाण पत्रः–

(अ) कॉलेज जाने वाले विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं हेतु :– किसी भी आयु वर्ग के ऐसे विशेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है।

(ब) रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों हेतु :– राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 18 वर्ष से 29 आयु वर्ग के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जायेगी।

(स) योजनान्तर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को सम्मिलित किया जायेगा।

(द) आयु संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित जैसे– 10 वीं की अंकतालिका, आधार एवं अन्य की प्रति संलग्न करनी होगी।

vii. नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र :– विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा।(जो वर्तमान में अध्ययनरत है उन्ही के लिए हैं)

नोटः– 1. प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो।

viii. रोजगार का प्रमाण पत्र :– विशेष योग्यजन आवेदक जो की रोजगार कर रहे है, द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र देना होगा।

ix. शपथ पत्र :– आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत गत 8 वर्ष में मोटराईज्ड ट्राई साईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नही किये जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।

x. फोटो :– आवेदक द्वारा स्वयं की फोटो (विकलांगता प्रदर्शित करते हुये) आवेदन के साथ देनी होगी।

xi. ड्राईविंग लाईसेन्स :– आवेदक द्वारा वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी।

(3) आवेदन की प्रक्रिया :–

आवेदन ऑनलाईन करना होगा। ऑनलाईन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई–मित्र अथवा S.S.O Portal : www.sso.rajasthan.gov.in "SJMS DSAP" आईकन के माध्यम से आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदनों को बिन्दु संख्या – 5 में वर्णित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(4) चयन प्रक्रिया :–

उपरोक्त पात्रता एवं शर्तो का पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होगें।

(5) अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय की न्यूनता एवं विशेष योग्यजन की अधिक निःशक्तता के आधार पर स्वविवेक से चयन करने का निर्णय लेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगीः-

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
3.	जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
4.	जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

दिशा-निर्देशों की व्याख्या के संबंध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इन दिशा-निर्देशों में संशोधन राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा।

नोट - ऐसे आवेदन जो स्कूटी ऑनलाईन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके है एवं स्कूटी से वंचित रहे है, उन्हें पुनः आवेदन करना होगा।

(अवधेश मीना)
आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.-14/(16)/योजना/नि.वि.यो./00592/2023/ 1367-1542 दिनांक 25/4/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (आयोजना/व्यय-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई.डी.संख्या .... दिनांक .... के क्रम में।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर,राजस्थान ....।
9. जिला कोषाधिकारी .... ।
10. संयुक्त निदेशक (योजना), शासन सचिवालय, जयपुर।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
12. समस्त अधिकारी,निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ....।
14. रक्षित फाईल।

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

Z:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intra...\PDF\168241193876...docx